International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के औचित्य का विश्लेषण

डॉ .श्वेता श्रीवास्तव

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, वीर सावरकर शासकीय महाविद्यालय औबेदुल्लागंज

सारांश

प्राचीन युग से वर्तमान तक मनुष्य के द्वारा कई आविष्कारों के माध्यम से शोध के माध्यम से नए विचारों का नए नए उत्पादों का नई सुविधाओं का सृजन किया गया है आवश्यक है की यदि किसी व्यक्ति ने कोई महत्वपूर्ण आविष्कार किया है तो उसे उसका श्रेय दिया जाए।साथ ही इससे संबंधित संवैधानिक,नैतिक और आर्थिक,वित्तीय हित भी संरक्षित रहे क्योंकि कई बार अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की खोज एवं आविष्कार के वित्तीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं इसलिए बौद्धिक संपदा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है।बौद्धिक संपदा के अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी आविष्कारक,शोधकर्ता,वैज्ञानिक,लेखक आदि को किसी वस्तु अथवा विचार के सृजन के परिणाम स्वरूप ,संरक्षण के लिए प्रदान किए जाते हैं इन के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति के विचार उसकी मौलिक परिसंपत्ति होते हैं यह उसकी मस्तिष्क का सृजन है इसलिए इन अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है क्योंकि बौद्धिक संपत्ति के सृजन एक व्यक्ति के गंभीर प्रयत्नों का परिणाम होते हैं इस कारण से बौद्धिक संपदा के अधिकारों के माध्यम से व्यक्तियों और शोधकर्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाता है जिसमें वित्तीय सभी प्रकार के हित सम्मिलित है।

KEY WORDS: बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट

प्राचीन युग से वर्तमान तक मनुष्य के द्वारा कई आविष्कारों के माध्यम से शोध के माध्यम से,नए विचारों का नए उत्पादों का नई सुविधाओं का सृजन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई महत्वपूर्ण आविष्कार किया है तो आवश्यक है की उसे उसका श्रेय दिया जाए ,साथ ही इससे संबंधित संवैधानिक, नैतिक और आर्थिक,वित्तीय हित भी संरक्षित रहे क्योंकि कई बार अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की खोज एवं आविष्कार के वित्तीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।इसलिए बौद्धिक संपदा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है।बौद्धिक संपदा के अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी आविष्कारक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, लेखक आदि को किसी वस्तु अथवा विचार के सृजन के परिणाम स्वरूप ,संरक्षण के लिए प्रदान किए जाते हैं इनके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति के विचार उसकी मौलिक परिसंपत्ति होते हैं। यह मस्तिष्क का सृजन है इसलिए इन अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है क्योंकि बौद्धिक संपत्ति के सृजन एक व्यक्ति के गंभीर प्रयत्नों का परिणाम होते हैं इस कारण से बौद्धिक संपदा के अधिकारों के माध्यम से व्यक्तियों और शोधकर्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाता है जिसमें सभी प्रकार के हित सम्मिलित है। बौद्धिक संपदा के अधिकार की बदौलत कोरिया की कंपनियों ने अत्यधिक विकास किया है जिसमें से कई तो वैश्विक स्तर पर बाजार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कोरिया के सकल घरेलू उत्पाद में 1970 से लेकर 2005 में जो वृद्धि हुई उससे हम जान सकते हैं की बौद्धिक संपदा अधिकार काफी महत्वपूर्ण अधिकार है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों के औचित्य का अध्ययन करना है इस अध्ययन में द्वितीयक समंको का उपयोग किया गया है ।

बौद्धिक संपदा अधिकार

बौद्धिक संपदा के अधिकार में साहित्य,कलात्मक,वैज्ञानिक, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन आदि से संबंधित अधिकार सम्मिलित होते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार की मुख्य रूप से निम्न श्रेणियां होती हैं।

- कॉपीराइट अधिकार

कॉपीराइट अधिकार के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपने कार्य की प्रतिलिपि बनाने और वितरण करने के अधिकार दिए जाते हैं निश्चित समय उपरांत यह कार्य सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है।

- पेटेंट

पेटेंट के माध्यम से आविष्कारक एवं राज्य के बीच अनुबंध किया जाता है जिसमें आविष्कारक को अपने आविष्कार से संबंधित संपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने पर एक निश्चित समय अवधि के लिए एकाधिकार प्राप्त हो जाता है जिसकी समय सीमा 20 वर्ष होती हैं। पेटेंट के प्रकारों में यूटिलिटी डिजाइन एवं प्लांट पेटेंट है।

- ट्रेडमार्क-

ट्रेडमार्क एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है जो व्यवसायिक संगठनों को एक पहचान प्रदान करने के लिए दिया जाता है।यह विशिष्ट होना चाहिए यह किसी उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है।

- इंडस्ट्रियल डिजाइन

एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसके अंतर्गत वस्तु संरचना सम्मिलित होती है जो द्वि आयामी और त्रिआयामी हो सकती है जो रंग रेखाओं के संयोजन से बनी होती है ।

- ट्रेड सीक्रेट

ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत किसी उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया तकनीक इत्यादि सम्मिलित होते हैं। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्मों के द्वारा इनको गोपनीय रखा जाता है जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण फार्मूला ऑफ कोको कोला है।

- भौगोलिक संकेत

किसी उत्पाद की पहचान कई बार उसके स्थान से होती है जैसे कि भारत में नागपुर ऑरेंज ।इन वस्तुओं की गुणवत्ता इनके स्थान से जुड़ी हुई है भौगोलिक संकेत या जी आई टैग एक प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार हैं जो इस प्रकार के उत्पादों को एक चिन्ह प्रदान करते हैं तथा वस्तु की नकल आदि जैसे अपराधों से उत्पाद का संरक्षण करते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बौद्धिक संपदा के अधिकारों का प्रारंभ इटली से माना जाता है।इस संबंध में पेरिस कन्वेंशन।883 तथा बर्न कन्वेंशन 1886 महत्वपूर्ण है, जो विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आधारभूत सम्मेलन है।भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों के संरक्षण के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 ,पेटेंट एक्ट 1970,डिजाइन एक्ट 2000 ,ट्रेडमार्क एक्ट 1990,ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ़ गुड्स एक्ट 1999, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000,प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फॉर्मर राइट्स एक्ट 2001, कंपटीशन एक्ट 2002, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स(इंपोर्टेड गुड्स)रूल्स 2007आदि बनाए गए हैं।वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कार्यरत है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है।इसके अलावा बौद्धिक संपदा की विभिन्न अधिकारों के संबंध में ब्रुसेल्स कन्वेंशन 1974,वॉशिंगटन संधि1989, ,WIPO कॉपीराइट संधि 1996,पेटेंट कानून संधि 2000 आदि हैं।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के औचित्य का विश्लेषण

- उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण

बौद्धिक संपदा के अधिकारों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण संभव हो पाता है। ट्रेडमार्क जैसा बौद्धिक संपदा का अधिकार फर्म की गुणवत्ता के आधार पर प्रदान किया जाता है इसके माध्यम से उत्पादों को पहचान प्रदान की जाती है ।जिससे उपभोक्ता विशिष्ट ट्रेडमार्क के माध्यम से वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं यह ट्रेडमार्क वस्तु की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है इसके माध्यम से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी हितों की रक्षा भी की जाती है ।इस प्रकार बौद्धिक संपदा का अधिकार उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करता है विशेषकर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इस प्रकार के अधिकार का महत्व है।

- संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा का संरक्षण

भारत जैसे विशाल देश में जहां का इतिहास प्राचीन है भारत में चरक,धनवंतरी जैसे आयुर्वेद के विशेषज्ञ हुए हैं इसके लिए एक सशक्त बौद्धिक संपदा का अधिकार आवश्यक है। भारत में हल्दी का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है परंतु हल्दी तथा इसके जैसी कई वस्तुओं का पेटेंट कई बार विकसित देशों के वैज्ञानिकों ने अपने नाम पर सुरक्षित करने का प्रयास किया है। भारत जैसे विकासशील देश जिसकी ज्ञान परंपरा काफी समृद्ध है आवश्यक है के हमारे यहां की बौद्धिक संपदा अधिकार अत्यंत अनिवार्य है भारत देश के आयुर्वेद के विशेषज्ञ को कई प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान है जिसमें अश्वगंधा,हर्रा,बहेड़ा,आंवला,मुलेठी आदि शामिल है। इन औषधियों का प्रयोग प्रारंभ से ही भारत में हो रहा है। यदि बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा इस तरह की औषधियों का पेटेंट करा लिया जाए तो यह चिंताजनक हो सकता है इसके लिए सशक्त आईपीआर होना अनिवार्य है तथा यह भी आवश्यक है कि नागरिकों को बौद्धिक संपदा के अधिकारों का ज्ञान हो।

- कृषि क्षेत्र

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कई प्रकार के बेहतर अवसर हैं,कई प्रकार के उन्नत किस्म के पौधों के बीज और पौधों की नई किस्में हो सकती हैं इस संबंध में बहुराष्ट्रीय निगमों से अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां जैव विविधता एवं पौधों की विविध किस्म का उत्पादन किया जाता है ।बौद्धिक संपदा का अधिकार वास्तव में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस संदर्भ में पौधों की महत्वपूर्ण किस्म

के अनुसंधान हेतु निजी क्षेत्र एवं वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।इस संबंध में पादप विविधता संरक्षण या पादप प्रजनन अधिकार महत्वपूर्ण है जो फसलों की नई किस्म के लिए है। इसके लिए निजी क्षेत्र द्वारा नई फसल की किस्म का विकास करके इस क्षेत्र में अनुसंधान करके लाभ अर्जित किए जा सकते हैं।

- रोजगार के अवसरों में वृद्धि

बौद्धिक संपदा के अधिकार की आवश्यकता रोजगार के लिए भी है।नए विचार नई खोज के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसरों की संभावना है अनुसंधान के माध्यम से पेटेंट,ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट,औद्योगिक डिजाइन आदि के द्वारा रोजगार के बेहतर अवसरों की संभावनाएं हैं इसके माध्यम से उच्च वेतनमान अधिक लाभ वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं ।नवप्रवर्तन के माध्यम से स्वरोजगार के क्षेत्र में भी कई संभावनाएं हैं।नवीन विचार,नवीन प्रौद्योगिकी को यदि बौद्धिक संपदा के अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाता है तो इसके माध्यम से रोजगार में वृद्धि होगी ,व्यवसायियों के हितों का संरक्षण भी होगा।संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो वहां नवाचारों के माध्यम से 40% रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि

बौद्धिक संपदा के अधिकारों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को पेटेंट के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होता है तो निश्चित है वह देश में अधिक प्रत्यक्ष निवेश करते हैं। जिन देशों में निवेशकों के हित संरक्षित नहीं होते उस देश में निवेशकों के द्वारा निवेश नहीं किया जाता इस प्रकार बौद्धिक संपदा का अधिकार निवेशकों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होती है कोविड-19 के दौरान भारत की वैक्सीन जो एक प्रकार का भारत का नवाचार था कई देशों ने उसका आयात किया।

- स्थानीय उत्पादों को संरक्षण

भौगोलिक संकेत जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार ने स्थानीय उत्पादों को संरक्षण प्रदान किया है इस प्रकार के अधिकारों से उद्योगों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है जैसे कि बनारसी साड़ियां,महेश्वरी साड़ी,मैसूर सिल्क दार्जिलिंग चाय, इंदौर के चमड़े के खिलौने,ओडीशा के रसगुल्ले ,कश्मीर केसर हाल ही में गुच्ची मशरूम जिसे जम्मू और कश्मीर में जीआई टैग दिया गया है। बिहार में शाही लीची ,हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शॉल,बेंगलुरु के गुलाब प्याज,मध्यप्रदेश में बाघ प्रिंट, चंदेरी के कपड़े, आदि हैं आदि इससे स्थानीय कलाकारों को पहचान मिलती है। स्वरोजगार की स्थापना को बल मिलता है।कई बार उत्पादों को अत्यधिक प्रसिद्धि मिलती है महाराष्ट्र का जैसे अल्फांसो आम जिससे वैश्विक स्तर पर भी उत्पादों को पहचान मिलने से निर्यात में वृद्धि होने से देश के भुगतान संतुलन में अनुकूलता आती है।

- सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग

भारत में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग एम.एस.एम.ई भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभ है जिसका उत्पादन में लगभग 35%, निर्यात में लगभग 40% तथा रोजगार में करीबन 60 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र है बौद्धिक संपदा के अधिकार के माध्यम से इन उद्योग के उत्पादों को वैधानिक रूप से संरक्षण प्राप्त होता है जैसे भारत में जूट,खादी आदि उद्योग हैं। ग्लोबलाइजेशन के पश्चात लघु उत्पादन हेतु संरक्षित सूची लगभग समाप्त हो गई है परंतु इन उद्योगों के उत्पादों का संरक्षण बौद्धिक संपदा

के अधिकार के माध्यम से किया जा सकता है जिससे इन उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से संरक्षित किया जा सकेगा और स्थानीय उद्योगों और कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा

- शिक्षा एवं अनुसंधान

बौद्धिक संपदा के अधिकार का महत्व शिक्षा जगत के लिए मुख्य रूप से है।शिक्षा ही वह क्षेत्र है जो अनुसंधान एवं आविष्कार तथा नवप्रवर्तन को बढ़ावा देती है किसी देश के नागरिकों के द्वारा यदि कोई विशिष्ट अनुसंधान किया जाता है तो यह अनुसंधान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। बौद्धिक संपदा के अधिकार के माध्यम से यदि अनुसंधान का संरक्षण किया जाता है तो देश के नागरिकों की सृजन क्षमता को प्रोत्साहन मिलता है।इसके लिए यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा के अधिकारों का ज्ञान हो इसके लिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया जाना चाहिए।भारतीय पेटेंट कार्यालय के द्वारा 2020-21 में 5629 से भी ज्यादा पेटेंट प्रदान किए गए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि बौद्धिक संपदा के अधिकार का महत्व व्यवसायिक,वाणिज्यिक साहित्यिक,वैज्ञानिक,कृषि आदि सभी क्षेत्रों के लिए है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के अधिकार का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है।लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्षेत्र में विकास किए जाने की आवश्यकता है।भौगोलिक संकेत जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार का अधिकार का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार के अधिकारों का ज्ञान आम नागरिकों को भी हो ताकि उनके द्वारा इसके लाभ की प्राप्ति की जा सके। भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों को सशक्त करने के लिए 2016 में बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी गई थी जो भविष्य का रोड मैप निर्माण करने का कार्य करेगी जिसके द्वारा इस संबंध में जागरूकता में विकास, बौद्धिक संपदा कानूनों के क्रियान्वयन की सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में प्रशासन का आधुनिकीकरण करना है व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन सेल बनाया गया है।नवप्रवर्तन हेतु बौद्धिक संपदा के विभिन्न अधिकार आवश्यक है इससे नवप्रवर्तन की संस्कृति का विकास होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ़ डब्लू आई पी ओ में भारत 40 वे स्थान पर है। बौद्धिक संपदा के अधिकार,अपने व्यवसाय का बाजार मूल्य,विचारों को लाभकारी संपत्ति में बदलने,व्यवसाय के उत्पादों और सेवाओं का विपणन करने,वित्त जुटाने,व्यवसाय के लिए निर्यात के अवसर बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण अधिकार है।

संदर्भ

1. Dharni KhushDeep and Pandey Neeraj(2014),Intellectual Property Rights
2. Gaikwad, Arun. (2020). A STUDY OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND ITS SIGNIFICANCE FOR BUSINESS. Journal of Computational Acoustics. 10. 552-561.
3. http://dpiit.gov.in/sites/default/files/ipr_Policy_21November2014
4. https://sivasagarjudiciary.gov.in/dlsacharaideo/DDC%20Abstract%20OCT%2020.pdf